

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(320)लेखा/डीएलबी/14एफसी/परफो./2016-20/ 1978)

दिनांक: 23.02.2017

-:: स्वीकृति आदेश ::-

विषय : 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कार्य निष्पादन अनुदान राशि बैंक खाते में हस्तान्तरण बाबत।

निर्देशानुसार चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान राशि रुपये 17700.00 लाख में से आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाली निम्न नगर परिषद/पालिकाओं को राशि रुपये 2988.45 लाख (अक्षरे रुपये उनतीस करोड अठासी लाख पैतालीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए आवंटित किये जाने हेतु विभाग के बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

- 2217 - शहरी विकास
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(37) - 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान
[02] - 14वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना भिन्न)

बजट प्रावधान

स्वीकृत प्रावधान	12328.05
पुनर्विनियोजन	0.00
पूर्व स्वीकृति पर व्यय	0.00
इस स्वीकृति पर व्यय	2988.45
शेष	9339.60

(Amount in lacs)

S.No	Name of ULB's	Total
1	2	3
1	Tijara	54.19
2	Balotra	60.03
3	Nokha	117.39
4	Gulabpura	60.49
5	Gangapur	38.30
6	Jhajpur	43.91
7	Nadbai	54.29
8	Chabra	59.15
9	Bundi	74.95
10	Indergarh	20.88
11	Chittorgarh	93.86
12	Nimbaheda	116.80
13	Kapasan	49.63
14	Dausa	60.45
15	Lalsot	65.91
16	Bari	120.20

S.No	Name of ULB's	Total
1	2	3
17	Raisingh nagar	52.91
18	Keshrisingpur	27.25
19	Suratgarh	131.34
20	Gajsinghpur	18.70
21	Nohar	93.37
22	Jaisalmer	70.93
23	Sambhar	42.67
24	Jhalawar	48.27
25	Jhalrapatan	76.61
26	Jhunjhunu	96.55
27	vidhyavihar	30.34
28	Pipadcity	81.68
29	Bilara	75.64
30	Ramganjmandi	78.88
31	Didwana	102.74
32	Parwatsar	30.44

S.No	Name of ULB's	Total
1	2	3
33	Kuchera	71.53
34	Sojatcity	100.60
35	Sadri	89.51
36	Bali	57.47
37	Falna	56.25
38	Rajsamand	72.00
39	Swaimadhopur	86.33
40	Ramgarh Shekhawati	61.90
41	Shrimadhopur	67.92
42	Ringus	60.94
43	Todabheem	44.49
44	Sumerpur	70.76
	Total (44)	2988.45

आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे। यदि राशि का व्यय दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया तो निकाय के आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी व लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी उस कृत्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 271700091 दिनांक 20.02.17 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(320)लेखा/डीएलबी/14एफसी/परफो./2016-20/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

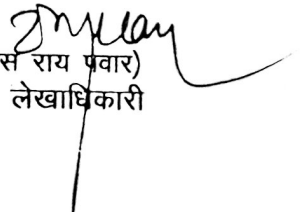
01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।

दिनांक: 23.02.2017

19782-990

03. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
05. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
07. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
08. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
09. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक एवम् आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति में वर्णित राशि का अविलम्ब DD/Pay order/RTGS ICICI Bank Ltd. Rajapark, Jaipur के पक्ष में तैयार कराकर उपलब्ध करावें ताकि RTGS के माध्यम से राशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तान्तरित की जा सके।
14. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, समस्त नगर परिषद/पालिका, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृति में आपकी निकाय के सम्मुख अंकित राशि निकाय के बैंक खाते में प्राप्त होना सुनिश्चित करावें। यदि उक्त राशि निकाय के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित नहीं होती है तो अविलम्ब विभाग में दूरभाष नम्बर 0141-2223074 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। इस राशि का उपयोग आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 11398 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार किया जावे। :-
15. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त राशि के हस्तान्तरण की सूचना आपके क्षेत्राधिकार की निकायों से संकलित कर सुनिश्चित करावें।
16. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी. बैंक लिमिटेड, राजापार्क शाखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित निकायों के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर सूचना विभाग को उपलब्ध करावें।
17. प्रभारी वेब साइट, निदेशालय/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
18. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा।
19. सुरक्षित पत्रावली।


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी